

प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 08.04.17 में प्रस्तुत।

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री बी०एस० गुर्जर।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

लोक अदालत के नोटिस के पालन में फरियादी फिरोज उपस्थित।

फरियादी फिरोज की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान श्री राजीव शुक्ला एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री बी०एस० गुर्जर ने की।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्तगण पर भादवि० की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तत्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 379 भा०द०वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जव्वशुदा संपत्ति पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो।

आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

सही /—

सदस्य

सही /—

सदस्य

सही /—

पीठासीन अधिकारी